

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in



सिक्किम विश्वविद्यालय SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/REG/F-2/13/2018/Vol-I/ 340

Date: 21st July 2026

Notification - 49 /2026

In exercise of the powers conferred under Statute 13 (1) (xii) of the Sikkim University Act, the Vice-Chancellor is pleased to nominate Prof. Vimal Kishor, Professor & Head, Department of Education, Central University of Jharkhand as Member of the Academic Council of Sikkim University with immediate effect for a period of two years.


(P.K. Dash) कुबसवि
Registrar Registrar
सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University
गंगटोक, Gangtok

Distribution:

1. PS to VC for kind information of the Vice-Chancellor
2. Prof. Vimal Kishor, Professor & Head, Department of Education, Central University of Jharkhand, Village- Cheri-Manatu, P.O.- Kamre, P.S.- Kanke, Ranchi- 835 222, Jharkhand
3. PS to Registrar
4. Finance Officer
5. Librarian
6. Controller of Examinations
7. Deans of all Schools of Studies
8. Dean, Students' Welfare
9. Heads/In-charge(s) of all Departments
10. System Management for necessary update on the website
11. Office copy
12. Guard file

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in



सिक्किम विश्वविद्यालय SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/REG/F-2/13/2018/Vol-I/ 340

दिनांक: 21 जुलाई 2026

अधिसूचना - 49 /2026

सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की संविधि 13(1)(xii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलपति महोदय ने प्रो. विमल किशोर, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय को दो वर्ष की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से सिक्किम विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया है।

वितरण :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. प्रो. विमल किशोर, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ग्राम-चेरी-मनातू, पो.ओ.- कामरे, पी.एस.- कांके, रांची- 835 222, झारखण्ड
3. कुलसचिव के निजी सचिव
4. वित्त अधिकारी
5. परीक्षा नियंत्रक
6. पुस्तकालयाध्यक्ष
7. सभी अध्ययन विद्यापीठों के डीन
8. छात्र कल्याण डीन
9. सभी विभागों के अध्यक्ष/प्रभारी
10. सिस्टम मैनेजमेंट - वेबसाइट में आवश्यक अद्यतन करने हेतु
11. कार्यालय प्रति
12. सुरक्षा फाइल

4/7/26
(पी.के. दाश)
कुलसचिव
कुलसचिव
Registrar
सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University
गंगटोक, Gangtok